मै0 घौलीनाग माइन्स एण्ड मिनरल्स द्वारा गरूवा सिरमोली सोप स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट ग्राम–गणुवा सिरमोली तहसील–काण्डा, जनपद–बागेश्वर, उत्तराखण्ड़ के पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 18.05.2023 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 घौलीनाग माइन्स एण्ड मिनरल्स द्वारा द्वारा गणुवा सिरमोली सोप स्टोन माइनिग प्रोजेक्ट ग्राम– गणुवा सिरमोली तहसील–काण्डा जनपद– बागेश्वर उत्तराखण्ड,सोप स्टोन माईनिग प्रोडक्ट (3.784 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के कम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान तथा हिन्दुस्तान टाइम्स के दि0 30.03.2023 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुकम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतियॉ जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर , जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तद्कम में जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर की अध्यक्षता में दिं0 18.05.2023 को प्रातः 11:00 बजे परियोजना स्थल ग्राम– गणुवा सिरमोली में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। लोक सुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के डॉ डी0के0जोशी क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावो तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष जिलाधिकारी बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित अधिकारीयों का स्वागत किया तथा परियोजना के संबंध में संक्षेप में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदया से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्कम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स काग्नीजेन्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के श्री संदीप चौधरी द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया। विवरण प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रस्तावित परियोजना एक सोप स्टोन खनन परियोजना है, आवेदक ने ई0आई0ए0 अधिसूचना–2006 के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है। पर्यावरण व वन मंत्रालय भारत सरकार की ई0आई0ए0 अधिसूचना–2006 के तहत उक्त परियोजना "श्रेणी बी1" में आती है तथा खनन परियोजना द्वारा पर्यावरण में होने वाले प्रभाव का आंकलन करने के लिए वर्तमान स्थिति में पर्यावरण पर खनन के द्वारा पडने वाले प्रभाव के तहत बेस लाईन पर्यावरणीय स्थिति हेतु परियोजना स्थल तथा परिक्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण, भूगर्भीय जल मृदा तथा ध्वनि स्तर का अनुश्रवण कर नमूने एकत्रण किये गये है। विश्लेषण आख्यायें परिवेशीय वायु गुणवत्ता राष्टीय वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर है तथा भू–जल नमूने

की गुणवत्ता भारतीय मानक IS:10500 द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप है। प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण ध्वनि का स्तर दिन और रात के समय हेतु निर्धारित सीमा में है। खनन गतिविधि में मानव के निवास स्थान का विस्थापन शामिल नहीं है। क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित खदान स्थानीय आवादि को रोजगार प्रदान करेगी, पर्यावरण प्रबंधन योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों यथा ढुलाई सड़क की मरम्मत और रखरखाव, धूल नियंत्रण, पानी का छिड़काव, जल/वायु, ध्वनि स्तर अनुश्रवण, वृक्षारोपण तथा देखभाल व ई0एम0पी0 एवं सीईआर मदों में धन राशि आवंटन के संबंध में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि प्रस्तावित खनन कार्य निर्धारित नियमों एवं शर्तो के अनुसार किया जायेगा। परियोजना क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करेंगी तथा प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव डाले बिना आगे बढ़ समती है।

जिलाधिकारी महोदया द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना उल्लेखित धूल नियंत्रण के लिए हॉलेज रोड पर पानी का छिडकाव हेतु लागत पर पृच्छा चाही गयी तथा कहा गया कि खनन सत्र हेतु एक वर्ष में पर्यावरण प्रबंधन योजना में पूंजी लागत आवंटन ज्यादा है। अतिरिक्त पूंजी लागत का उपयोग सी0ई0आर0 मद में रखने का विचार करने को कहा गया। तद्क्रम में पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि धूल नियंत्रण हेतु टेंकरों उपयोग किया जाऐगा। जिस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में 2 लाख 40 हजार का प्राविधान किया गया है। इस के अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदया द्वारा सी0ई0आर0 मद में बॉयो गैस सयंत्र की उपयोगिता के बारे में पर्यावरण सलाहकार से पूछा गया। तद्क्रम में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि ढुलाई हेतु उपयोग में लाये जाने वाले खच्चरों के मल अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बॉयो गैस सयंत्र की स्थापना का प्राविधान पर्यावरण प्रबंधन योजना में किया गया है। इसी अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कहा गया कि मल अपशिष्ट के एकत्रण हेतु पर्यावरण परियोजना में क्या प्राविधान किया गया है तथा बॉयो गैस सयंत्र की स्थापना का प्राविधान तभी किया जाना चाहिये जब उचित मात्रा में मल एकत्रण हो तथा बताया गया कि खच्चरों से जनित होने वाले मल अपशिष्ट का उपयोग वृक्षारोपण के समय खाद के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा ग्राम प्रधान गणुवा सिरमोली से पूछा गया कि गॉव में कुल कितने स्कूल है तथा स्कूलों में टॉईलेट इत्यादि की क्या व्यवस्था है ? प्रधान जी द्वारा अवगत कराया गया कि गॉव में तीन स्कूल जिनमें एक जूनियर हॉईस्कूल, एक उच्च प्राथमिक तथा एक प्राथमिक स्कूल है। स्कूलों में टॉईलेट की व्यवस्था पूर्व से है तथा बताया गया कि पंचायत घर की छत टपक रही है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा कहा गया कि तीनों स्कूलों का सर्वे कर उनकी मरम्मत का कार्य एवं स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराने एवं पंचायत घर की छत की मरम्मत के कार्य हेतु सी0ई0आर0 मद का उपयोग किया जाना उचित होगा।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से उनके सुझाव आपत्तियॉ एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तियॉ टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है।

1. श्री कमल भौर्याल (अध्यक्ष युवक मंगल दल) ग्राम– गरूवा सिरमोली जिला–बागेश्वरः– श्री भौर्याल द्वारा जन सुनवाई में उपस्थित सभी का स्वागत करते हुये कहा गया कि पर्यावरण सलाहकार

द्वारा परियोजना के संबंध में विवरण प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि खनन परियोजना से गांव का विकास होगा तथा गांव के लोगो की दिनचर्या में सुधार होगा। इस ग्राम पंचायत में पहले से ही तीन–चार खनन परियोजनायें संचालित है। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा कोई भी कार्य गांव के विकास हेतु नहीं किया जा रहा है। गांव के सभी स्थानीय लोग रोजगार चाहते है लेकिन खनन परियोजनाओं में गांव वालो को रोजगार में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। न तो गांव के रास्ते ठीक है न ही पानी की उचित व्यवस्था है। खनन प्रस्तावको द्वारा गांव के विकास हेतु सहयोग नहीं किया जाता है तथा खनन न्यास का पैसा विद्यालयों के संरक्षण एवं गांव के रास्तों को ठीक करने में किया जाना चाहियें। खनन क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगो द्वारा वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया जा रहा है तथा खनन परियोजना से गांव वालों को लाभ मिलना चाहियें।

2. श्री गुलाब राम (ग्राम प्रधान) ग्राम–गरूवा सिरमोली जिला–बागेश्वरः– ग्राम प्रधान गरूवा सिमोली द्वारा जिलाधिकारी एवं सभी उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुये कहा गया कि हमें खडिया खनन से कोई आपत्ति नहीं है तथा परियोजना प्रस्तावक से निवेदन है कि गांव के पुराने रास्तों एवं पानी के स्त्रोतो को नुकसान न पहुचाया जायें। पूर्व में भी श्री कमल भौर्याल जी द्वारा कहा गया है कि परियोजना प्रस्तावकों द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, मैं इस का समर्थन करता हूँ एवं यह बात सत्य है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि गांव के विकास कार्यो में सहयोग किया जायेगा। तद्क्रम में जिलाधिकारी महोदया द्वारा कहा गया कि सी0ई0आर0 मद में जो 3 लाख 30 हजार का प्राविधान किया गया था वह बढाकर 6 लाख किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को कहा गया है। गांव के विकास हेतु अगर और धन की आवश्यकता होगी तो सी0ई0आर0 लागत में और सुव्यवस्थीकरण किया जा सकता है तथा गांव के रास्तों एवं पानी के स्त्रोतो के संरक्षण हेतु सी0ई0आर0 लागत का उपयोग किये जाने हेतु कहा गया। वृक्षारोपण का कार्य स्थानीय महिला समूहों के माध्यम से किया जाना चाहियें। जिससे गांव की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तद्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कहा गया कि स्थानीय लोगों के अनुरोध के आधार पर प्रस्तावित सीईआर लागत के पूंजी का आवंटन किया जा सकता है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन सत्र में कितना वृक्षारोपण किया है उसकी पुष्टि ग्राम प्रधान द्वारा की जानी चाहियें।

3. श्रीमती बीना पाण्डे ग्राम– गरूवा सिरमोली जिला–बागेश्वरः– श्रीमती बीना पाण्डे द्वारा कहा गया कि गांव के रास्तों की स्थिति ठीक नहीं है तथा गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट के वितरण का कार्य नियमानुसार व राशन कार्ड में नाम न होने की समस्या के समाधान के बारे में जिलाधिकारी महोदया को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी महोदया द्वारा रास्तो की मरम्मत तथा सोलर स्ट्रीट लाइटो हेतु सी0एस0आर0 में प्रावधान किये जाने हेतु कहा गया। चुकि राशन कार्ड का प्रकरण पर्यावरण स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई का विषय न होने के दृष्टिगत पृथक से प्रार्थना पत्र/मौखिक रूप से लोक सुनवाई के पश्चात देने हेतु कहा गया।

4. श्री चन्द्र शेखर पाण्डे ग्राम– गरूवा सिरमोली जिला–बागेश्वरः– श्री पाण्डे द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित सीईआर लागत में मंदिरों के संरक्षण एवं सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यो हेतु फण्ड का आवंटन किया जाना चाहियें।

5. श्री जगदीश लोहनी परियोजना प्रस्तावक मै0 घौलीनाग माइन्स एण्ड मिनरल्सः– श्री लोहनी कहा गया कि गांव वालों एवं प्रधान जी द्वारा जो भी सुझाव दिये गये है, उन सभी का स्थानीय लोगो से सहभागिता करते हुये पूरा करने का दायित्व हमारा है तथा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त किया गया।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुनः उपस्थित लोगो से प्रस्तावित परियोजना कि आपत्ति के संबंध में जानना चाहा। काई आपत्ति प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक से अपेक्षा कि गयी कि नियमों तथा शर्तो के अन्तर्गत ही खनन कार्य किया जाना चाहिये। परियोजना प्रस्तावक तथा स्थानीय लोगों के आपसी सहयोग से खनन कार्य किये जाने को कहा गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा कहा गया कि खनन से निकले अधिभार को नदी एवं जल स्त्रोतो के आसपास एकत्रण नहीं किया जाना चाहियें। जिससे नदियों की जल गुणवत्ता प्रभावित न हों।

अन्य सुझाव/आपत्ति व टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की विडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

(डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर।